(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2470–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–5–15 पारित द्वारा तहसीलदार, नीमच प्रकरण कमांक 15/अ–13/2010–11.

1– मुकेश कुमार पिता रामचन्द्र सैनी
2– श्रीमती कलाबाई पति रामन्द्र सैनी
निवासीगण हवाई अड्डा रोड, नीमच
एवं सब्जी मंण्डी प्रांगण, नीमच
तहसील व जिला नीमच .....आवेदकगण

विरूद्ध

अमित कुमार सिंघानिया
पिता स्व. भगवान प्रसाद सिंघानिया
निवासी 8, शास्त्री नगर, नीमच .....अनावेदक

श्री बी.एल. भावर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री के.सी. बंसल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, तहसील नीमच के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम हिंगोरीया तहसील नीमच स्थित सर्वे नम्बर 317 रकबा 1.81 हेक्टेयर उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । अनावेदक उक्त भूमि पर आने–जाने हेतु नीमच–मंदसौर रोड से उत्तर दशिा की ओर मुड़कर धानुका मील के सामने होता हुए सर्वे कमांक 536 के उत्तरी कोने से पश्चिम की ओर मुड़कर सर्वे कमांक 312, 536, 313 व 535 के मध्य मेड़

पर से गाड़ी गडार के कदीमी के रूढ़िगत रास्ते का उपयोग करता रहा है, जिसे आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–13/2010–11 दर्ज कर दिनांक 3–6–14 को अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाया जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–5–15 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना रास्ता खुलवाया गया है, जिस पर आवेदकगण द्वारा संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में स्थल निरीक्षण किया जाकर आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 12–7–2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सर्वे कमांक 312, 313 व 536 के मध्य कोई अलामात न तो नक्शे में है और न ही भू–अभिलेख विभाग व अभिलेखागार के नक्शे में है, जिसे अनदेखा कर रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा भूल की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक के आने–जाने के रास्ते को आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया था, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम आदेश पारित कर रास्ता खुलवाये जाने के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि, जिस विक्रेता से क्रय की गई है, उसके द्वारा भी प्रश्नाधीन रास्ते का उपयोग किया जाता रहा है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा नवीन रास्ते की मांग नहीं की गई है, बल्कि आवेदकगण द्वारा अवरूद्ध रूढ़िगत रास्ते को खुलवाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक को अपनी भूमि पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा पूर्व में भी मंडल निगरानी प्रकरण कमांक 2332–एक/12 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19–3–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है । स्पष्ट है कि आवेदक प्रकरण में प्रारम्भ से ही भाग ले रहा है, अतः उसका यह कहना कि स्थल निरीक्षण की उसे जानकारी नहीं थी, मान्य किये जाने योग्य नहीं है । ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदकगण प्रकरण में लम्बान डालने के उद्देश्य से आपत्तियां/निगरानियां प्रस्तुत कर रहे हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह दो माह में प्रकरण का अन्तिम निराकरण करें । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में इस निगरानी में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–5–15 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर